

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर


क्रमांक:- शिविरा-मा/माध्य/शाला दर्पण/2016-17/60304

दिनांक :- 19/10/2016

समस्त संस्था प्रधान,
रामावि/राउमावि

विषय :- शाला दर्पण पोर्टल को अपडेट रखने हेतु दिशा निर्देश।


- विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में विधानसभा एवं संस्थापन सम्बन्धी समस्त आंकड़े/जानकारी शाला दर्पण द्वारा ही प्राप्त की जा रही है एवं वे ही अधिकारिक रूप से मान्य है अतः निर्देश दिये जाते हैं कि -
1. विद्यालय स्तर पर उपयुक्त कार्मिक को शाला दर्पण प्रभारी बनायें और उसका नाम शाला दर्पण लॉगिन करते ही आने वाले Pop up में फीड करें। कई विद्यालयों द्वारा इसमें प्रधानाचार्य का नाम व मोबाईल नम्बर फीड कर दिया गया है जो उचित नहीं है।
 2. शाला दर्पण विद्यालय टेब के अन्तर्गत विद्यालय प्रोफाइल (प्रपत्र-1) में विद्यालय की श्रेणी, विद्यालय का प्रकार (Girls/Boys/Co-Ed), विद्युत कनेक्शन, विद्यालय कितने परिसर में संचालित है, टेलिफोन कनेक्शन, इन्टरनेट कनेक्शन, आई0सी0डी0 फेज, DEO I/II आदि को जांच कर सही सूचना अंकित करें एवं समय-समय पर अपडेट करें। प्रधानाचार्य की कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण करने पर विद्यालय प्रोफाइल में उसका नाम, मोबाईल नम्बर एवं व्यक्तिगत ई-मेल आई.डी. तुरन्त फीड करें। प्रपत्र-1 को अनलॉक करवाने की आवश्यकता नहीं है।
 3. माध्यमिक शिक्षा के समस्त राजकीय विद्यालयों में सत्र 2015-16 एवं उसके बाद अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की टी0सी0 किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन जारी नहीं की जावें। शाला दर्पण से जारी ऑनलाईन टी0सी0 व क्रमांक ही मान्य होंगे।
 4. विद्यार्थियों नामांकन को अद्यतन रखा जावें एवं दर्ज की गई समस्त सूचनाओं यथा प्रपत्र-9, 10 आदि की जांच व्यक्तिशः कर उन्हें प्रमाणिक बनाया जावें। जांच में यह पाया गया है, कि विद्यार्थियों के मोबाईल नम्बर वास्तविक ना भरें जाकर संस्था प्रधान, अध्यापकों या अन्य कोई भरें गये हैं, कार्मिकों एवं विद्यार्थियों के आधार नम्बर गलत दर्ज किये गये हैं, इस प्रकार की सभी गलत प्रविष्टियों को जांच कर तत्काल सही करें।
 5. प्रपत्र-3ए पर दर्ज समस्त कार्मिकों की जांच करे एवं यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत पदानुसार ही उनकी प्रविष्टि की गई है।
 6. संविदा पर लगे सेवानिवृत्त कार्मिकों का 3ए प्रपत्र में फिडींग करावें(प्रपत्र 10 भरना अनिवार्य नहीं है।) पत्र की पालना सुनिश्चित करें।



(अरुण कुमार शर्मा)
उपनिदेशक
(माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, NIC, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम ऍनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


सहायक निदेशक
(शाला दर्पण) माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर